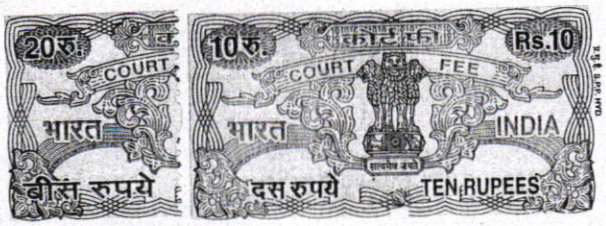

117

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

नि -3484- I/16

श्रीमति प्यारीबाई पत्नि हरप्रसाद अहिरवार
निवासी ग्राम रनगुवां तह. व जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन
2. जीवनलाल तनय साखा राजपूत
निवासी ग्राम रनगुवां तह. व जिला (शिकायतकर्ता) ......अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/निगरानी/अ–6अ/11–12 में पारित आदेश एंव कार्यवाही से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम ककरदा स्थित भूमि खसरा क्र 34, 35, 37/1 रकवा क्रमशः 0.57, 0.97, 0.482 हे भूमि आवेदिका के कब्जे व अधिपत्य की भूमि है जिसका पट्टा आवेदिका को वर्ष 1975–76 में दिया गया था तथा नामांतरण पंजी क्र 11 के द्वारा आवेदिका का नाम स्वीकृत किया गया था। तथा आवेदिका पट्टा प्राप्त के पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करती चली आ रही है। आवेदिका द्वारा अपने परिश्रम व धन व्यय कर भूमि को काबिल काश्त् बनाया गया है परंतु अनावेदक क्र 2 द्वारा आवेदिका से आपसी रंजिश के चलते एक झूठा शिकायती आवेदन पत्र प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी के अंतर्गत पंजीबद्व किए जाने हेतु अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण को वर्ष 2011 में निगरानी में पंजीबद्व कर विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3484/I/16 जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-10-2016	1– आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अतंर्गत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के अधिपत्य व कब्जे की भूमि है जिसका उसको वर्ष 1975–76 में पट्टा प्रदाय किया गया था। आवेदक द्वारा अत्याधिक धन व्यय कर व परिश्रम से भूमि को काबिल काश्त् बनाया गया है। शिकायतकर्ता के एक झूठे शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा वर्ष 2011 में प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की है जो आज दिनांक तक लंबित है। शिकायतकर्ता द्वारा मात्र आपसी रंजिश के चलते शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा यह निगरानी ग्राह्य किए जाने का निवेदन किया गया है। 3– आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। शिकायतकर्ता जीवनलाल राजपूत द्वारा प्रस्तुत स्वप्रेरणा निगरानी हेतु आवेदन पत्र के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21/11/11 को प्रकरण निगरानी में पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपर कलेक्टर की संपूर्ण आदेश पात्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण अभी अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष विचाराधीन है तथा विगत 5 वर्ष से प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व किए जाने के पूर्व इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि शिकायतकर्ता की locus standii क्या है, वह किस प्रकार प्रकरण में हितबद्व है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने की अनुमति हेतु भी कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से यह भी स्पष्ट है कि वह उस ग्राम का निवासी भी नहीं है जहां पर प्रश्नाधीन भूमि स्थित है। साथ ही साथ	

R 3484-I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में पंजीबद्व नहीं किया गया वरन् निगरानी के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया है ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर को सर्वप्रथम शिकायतकर्ता के हितबद्व होने के प्रश्न का निराकरण करना चाहिए था। परिणामतः अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में लंबित कार्यवाही को समाप्त किया जाकर यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	